876 858

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs 10000 दस हजार रुपये

10000 रु. Rs 10000 RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

04AA 001704



I.A. with the permission by L.R.D.C. Simdega vide Case No. 185/2013-14 order dt. 08-08-13

24-9-13

§1§ लेखयकारी:- श्री अंजोर डुँगडुँग पिता स्व0 मसीह डुँगडुँग, जाति- खड़िया, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- खिजरी खास, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

. . . . . विक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 579/2013

फोर्म 60

(386)

J45 dt 02.09.13

श्री अंजोर डुंगडुंग
स्व० मसीह डुंगडुंग
खिजरी जिला सिमडेगा
खाले
केवाला
23080.2.00

04/09/13



10,000 X 2 = 20,000
1,000 X 3 = 3,000
50 X 1 = 50
20 X 1 = 20
10 X 1 = 10

Total = 23080.00

(तेईस हजार अस्सी रुपये)

है नि अंजोर डुंगडुंग
ब०उ० लाटाखाड़ मंडी
24.9.13



24-9-13 10 to 1
प्रमाणित किया जाता है कि ... हस्ताक्षर/निशान
... अमीन ...
... श्री/श्रीमती अजोर डुगडुंग
पिता/पति श्री ... मसीह डुगडुंग
... खिजरी खाले ... सिमडेगा
... रवडियो
... 24/9/13

24-9-13

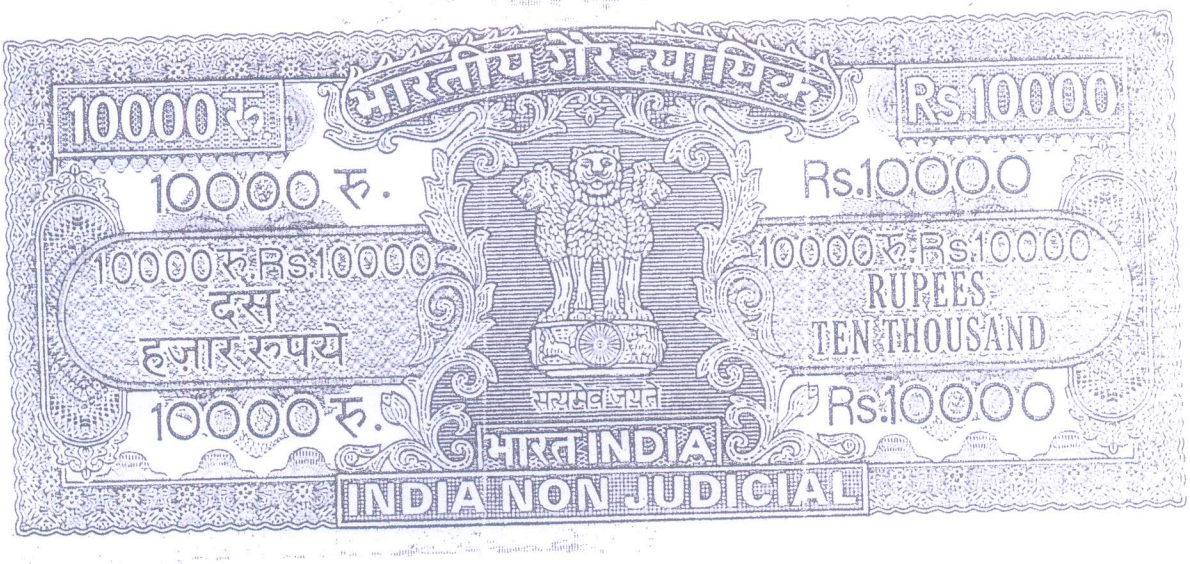


--2--

04AA 001705

§2§ लेखयधारिणी:- श्रीमति चम्पा खलखो पति श्री ओलिभर मिंज जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- कोयेडेगा महुवाटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

शपथ-पत्र संख्या:- 580/2013

पैन नं0 ए.एफ.एस.पी.के. 7994 एल.

§3§ लेखयप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

§4§ मूल्य:- मोबलिग पाँच लाख सतहत्तर हजार रूपये अंके 5,77,000/- रूपये होता है ।

§5§ सम्पति:- एराजियात अन्दर मौजा- खिजरी खास, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 105, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 85 §पचासी§ प्लॉट नं0 2032 §दो हजार बतीस§ रकबा 0.28 एकड़ §अठाईस डिसमिल§ शहरी क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वाली जमीन आवासीय क्षेत्र में पड़ता है जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- योतम डुँगडुँग का टाँड़,

दक्षिण:- योतम डुँगडुँग का टाँड़,

पूरब :- प्लॉट नं0 2029 टाँड़,

पश्चिम:- ज्वाकिम डुँगडुँग का टाँड़ ।

मालगुजारी 50 पैसा §पचास पैसा§ अलावे सेस सकाना ।

1000 Rs.

--3--

§1§ चुँकि मुझ लेखयकारी को मकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेखयधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

§2§ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेखयधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेखयधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

§3§ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बेची जा रही जमीन मेरी खतियानी है पिछले नाप में पलटु खड़िया वो रूपू खड़िया वो सावना खड़िया वो कुजा खड़िया वो हाने खड़िया के नाम से नाप हुआ था । खतियानी रैयतों की मृत्यु हो चुकी है । इनलोगों के बीच जमीन का बँटवारा पूर्व में ही हो चुका है । हाने खड़िया मेरे दादा थे । उनका दो पुत्र हुए मसीह डुँगडुँग वो खिस्तो डुँगडुँग । मसीह डुँगडुँग मेरे पिताजी थे । मेरे पिताजी एवं चाचा के बीच जमीन का बँटवारा मौखिक हो चुका है । मेरे पिताजी का मैं एकमात्र सन्तान हूँ । मेरे पिताजी के मरने के बाद उत्तराधिकारी के द्वारा जमीन प्राप्त हुआ जिसपर मैं

1000Rs.

शांतिपूर्ण दखलकार हूँ । बेची जा रही जमीन मेरे हिस्से वो दखल की है जिसपर किसी प्रकार का भार या झंझट नहीं है ।

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं । अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 185/2013-14 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 08.08.2013 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 999§.1§ दिनांक 08.08.2013 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेखयधारिणी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेखय से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ के तहत नहीं है ।

1000 Rs.

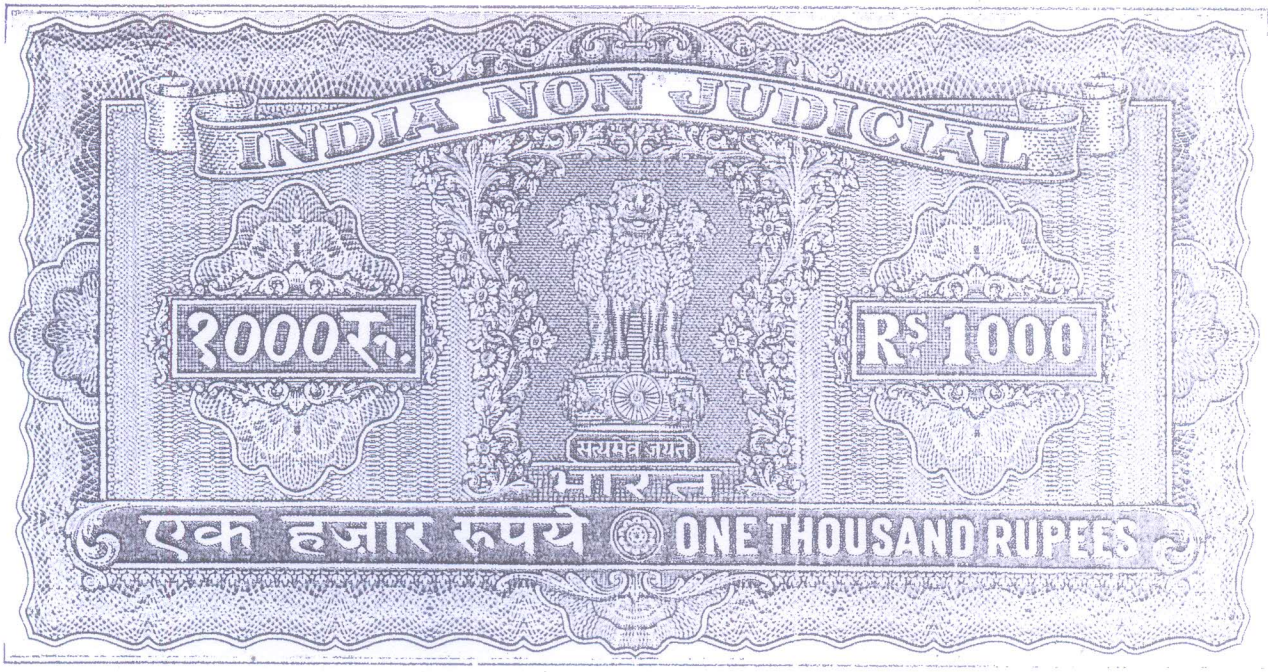

INDIA NON JUDICIAL

१000 रु.    Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये    ONE THOUSAND RUPEES



मैं लेखयकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

ह० कि० संजीत डुंगडुंग
द० कु० नारायण सार्वी
25.9.13

ह० कि० संजीत डुंगडुंग
द० कु० नारायण सार्वी
25.9.13

प्रमाणित किया जाता है कि लेखयकारी ने अपने बायें हाथ के पांचो अंगुलियों का निशान मेरे सामने दिया।

कोमल दास अधिवक्ता
25/9/013

50 Rs.

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५०रु. FIFTY RUPEES 50RS



मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

ह० वि० चन्दर उरांव
पि० स्व० नारायण उरांव
25.9.13

चम्पा खलखो
25.9.2013



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारी ने अपने बायें हाथ के पांचों अंगुलियों का निशान मेरे सामने दी।

कौशल पति अधिवक्ता
25/9/013

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

03AA 379691

--7--

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- कोमल दास अधिवक्ता

{प्रारूपकर्त्ता}

तारीखः- 24/01/013

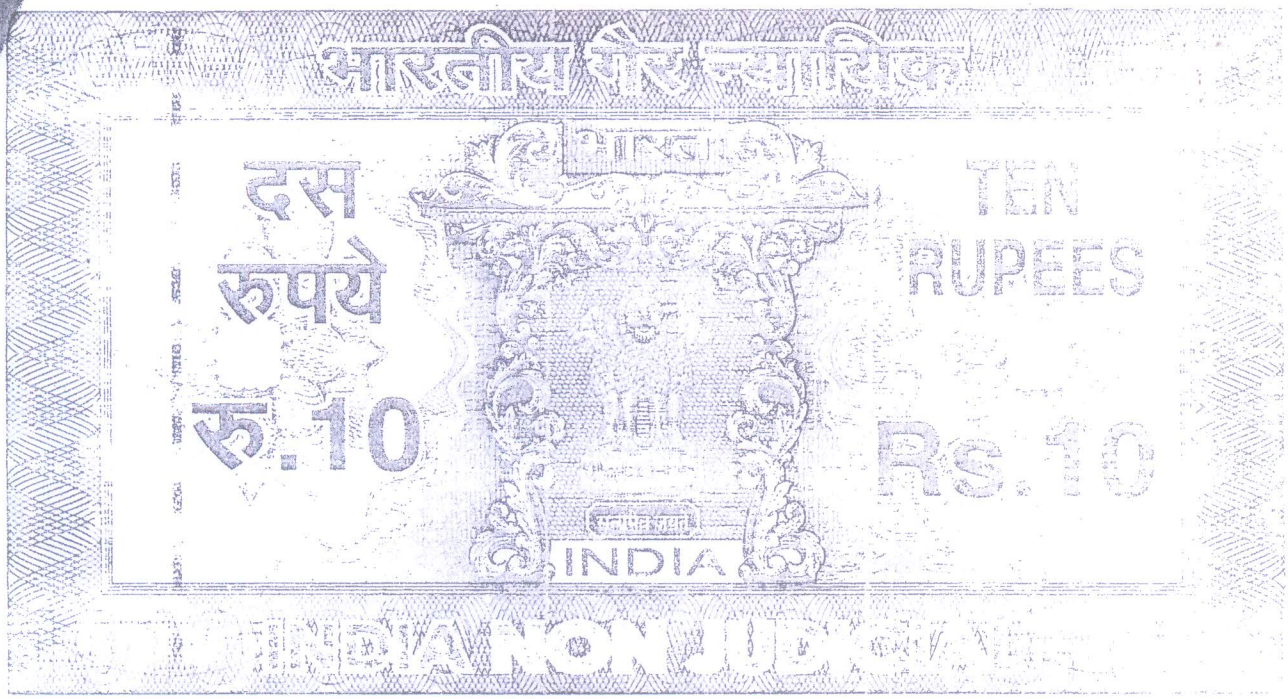


03AA 159287



प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल आठ पृष्ठों में कुल 672 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
मो० मकसूद
5.9.2017

मो० मकसूद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।